बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक—........ ....

संख्या—4/ए0—02—05/2014.... ..../भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, स्वास्थ्य विभाग के अधीन लिपिक संवर्ग मे नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**—(1) यह नियमावली "बिहार स्वास्थ्य लिपिक संवर्ग नियमावली, 2025" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ।** — जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:—

(i) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार,

(ii) 'विभाग' से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना,

(iii) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

(iv) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना;

(v) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है बिहार स्वास्थ्य लिपिक संवर्ग, तथा

(vi) 'नियत तिथि' से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि।

3. **संवर्ग का गठन।**— (i) बिहार स्वास्थ्य लिपिक संवर्ग राज्य स्तरीय होगा।

(ii) इस संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगी—

क्रमांक	पदनाम	कोटि	प्रास्थिति
1	निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि	अराजपत्रित
2	उच्चवर्गीय लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर सोपान	अराजपत्रित
3	प्रधान लिपिक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर सोपान	अराजपत्रित
4	सहायक प्रशासी पदाधिकारी	तृतीय प्रोन्नति स्तर सोपान	अराजपत्रित

(iii) इस संवर्ग के प्रत्येक कोटि के पदों का स्वीकृत बल तथा संवर्ग के कुल पदों की सख्या वही होगी जैसा सरकार द्वारा, समय—समय पर, निर्धारित किया जाय।

(iv) इस सवर्ग के प्रत्येक कोटि के पद का वेतन/बैंड ग्रेड—पे/वेतन स्तर वही होगा जैसा समय—समय पर सरकार द्वारा अवधारित किए जाय।

(v) नियत तिथि के पूर्व से संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों पर नियुक्त/प्रोन्नत एवं कार्यरत कर्मी इस संवर्ग के समकक्ष स्तर पर स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

4. **भर्ती।**— (i) इस संवर्ग में निम्नवर्गीय लिपिक के मूल कोटि के पद का 85% पद सीधी भर्त्ती से भरा जाएगा और 15% पद कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग के वैसे कर्मी,

जो निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति की अर्हता रखते हों, की वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर प्रोन्नति से, बिना किसी परीक्षा के, भरा जाएगा।

(ii) ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गई हो, के आश्रितों की, सीधी भर्त्ती हेतु उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध अपेक्षित मापदण्ड पूरा करने पर, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकेगा, जिसके लिये आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी।

परन्तु सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति के उपरान्त, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की शेष रिक्तियों के लिए अधियाचना आयोग को उस कैलेण्डर वर्ष के दिसम्बर माह तक भेजी जाएगी।

5. **सीधी भर्त्ती से नियुक्ति।**–(1) मूल कोटि के निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर सचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान के साथ इन्टरमेडिएट/10+2 उत्तीर्णता या समकक्ष होगी।

(2) सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु–सीमा 18 वर्ष होगी और अधिकतम आयु–सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा, समय–समय पर, आरक्षण कोटिवार, विनिश्चित की जायेगी।

(3) संबंधित अधियाचना वर्ष की 1ली अगस्त को, उम्र के निर्धारणार्थ, कट ऑफ तिथि माना जायेगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्ति की गणना कर 30 अप्रैल तक आरक्षण कोटिवार अधियाचना, विभाग के माध्यम से, आयोग को भेजेगा।

(5) अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन–पत्र आमंत्रित करेगा और बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार इन्टरमेडिएट/10+2 स्तरीय लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधासूची तैयार करेगा।

(6) आयोग, मेधासूची के आधार पर अधियाचित रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार अनुशंसा विभाग को भेजेगा। नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थियो की स्वास्थ्य जॉच, प्रमाण पत्रों की जॉच एवं चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन आदि के उपरान्त सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्गत नियुक्ति संबधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए नियुक्ति करेगा।

6. **परिवीक्षा अवधि।**– नियुक्ति के उपरान्त निम्नवर्गीय लिपिक 01 वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगें। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नही पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक और वर्ष के लिए किया जायेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर नियुक्ति प्राधिकार ऐसे निम्नवर्गीय लिपिक को सेवामुक्त कर सकेगा।

7. **प्रशिक्षण।**– परिवीक्षा अवधि में नव–नियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक को सरकार द्वारा यथानिर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा। यदि प्रशिक्षण अवधि में कोई परीक्षा ली जाय, तब उसमें भी उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी।

8. **विभागीय परीक्षा।**– नव–नियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक को यथानिर्धारित विभागीय परीक्षा के सभी पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी। विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद्, बिहार द्वारा किया जाएगा। साथ ही राजभाषा

निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा यथानिर्धारित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में भी उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी।

9. **सम्पुष्टि।**– परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक रहने, निर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण पूरा करने, निर्धारित विभागीय परीक्षा के सभी पत्रो में उत्तीर्णता प्राप्त करने तथा हिन्दी टिप्पण एव प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने के उपरान्त नव–नियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक की सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी।

10. **वरीयता।**– (i) संवर्ग के सदस्यों की आपसी वरीयता राज्यस्तरीय होगी तथा इस सेवा के सदस्यों की पारस्परिक वरीयता का अवधारण सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा विनिश्चित सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के अनुसार होगा।

(ii) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व संवर्ग के सदस्यों की विनिश्चित आपसी वरीयता का पुनर्निधारण कर विभाग द्वारा समेकित वरीयता सूची प्रकाशित की जाएगी।

(iii) प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्त कर्मियों की आपसी वरीयता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिश्चत मापदण्ड के अनुरूप निर्धारित होगी।

(iv) नियत तिथि को संवर्ग के किसी पदसोपान पर स्वतः सम्मिलित कर्मियों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण संबंधित पदसोपान पर उनकी प्रोन्नति की तिथि के आधार पर किया जाएगा। प्रोन्नति की तिथि समान होने पर संवर्ग में उनकी प्रथम नियुक्ति की तिथि के आधार पर तथा प्रथम नियुक्ति तिथि भी समान होने पर नियत तिथि को उनके उम्र के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा।

11. **प्रोन्नति।**– (i) संवर्ग के सदस्यों को, रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, वरीयता–सह–योग्यता के अनुसार, उच्चतर संवर्गीय पदों पर प्रोन्नति विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर दी जा सकेगी।

(ii) प्रोन्नति पर विचारार्थ, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय–समय पर, निर्गत, दिशा–निर्देश, कालावधि संबंधी अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

(iii) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग–अलग आदेश से किया जाएगा।

12. **आरक्षण।**– इस संवर्ग में नियुक्ति एवं प्रोन्नति में सरकार द्वारा समय–समय पर यथानिर्धारित आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा।

13. **अवशिष्ट मामले।**– इस नियमावली में जिन विषयों के संदर्भ मे विशिष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया जा सका है, उन विषयों में सरकार में समकक्ष स्तर के कर्मियों के लिए लागू प्रावधान इस संवर्ग में भी लागू होंगे।

14. **शिथिलिकरण की शक्ति।**–जहॉ सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहॉ अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से इस नियमावली के किन्हीं प्रावधानों को शिथिल किया जा सकेगा।

15. **शंकाओं का निराकरण।**– इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संशय हो, तो उसे विभाग को निर्देशित किया जायेगा और, विधि विभाग के परामर्श से, विभाग का विनिश्चय, अंतिम होगा।

16. कठिनाई का निराकरण।–यदि इस नियमावली के उपबंधो के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग ऐसी किसी कठिनाई का निराकरण, विधि विभाग के परामर्श से, ऐसे आदेश द्वारा कर सकेगा जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो।

17. निरसन एवं व्यावृत्ति।–(1) इस संवर्ग के संदर्भ में पूर्व से प्रवृत्त बिहार स्वास्थ्य क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग नियमावली, 2014 एवं विभाग द्वारा पूर्व में समय–समय पर निर्गत अन्य संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त नियमावली, संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि, के अधीन किया गया कोई कार्य या लिया गया कोई निर्णय इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या निर्णय समझा जाएगा, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई निर्णय लिया गया था।

बिहार राज्यपाल के आदेश
ह0/–
(शम्भू शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–4/ए0–02–05/2014...996(4)...पटना, दिनांक–...19/06/2025...

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.6.25

सरकार के अपर सचिव